अध्याय - V

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

5.1 कार्यालय परिसर को पट्टे पर लेने पर परिहार्य व्यय

वैज्ञानिक व अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, (एस. ई. आर. बी.) अपने कार्यालय हेतु 22 माह के लिए एक निजी एजेंसी से पट्टे पर लिये गये परिसर को गृहित करने में असफल रहा तथा किराये के रूप में ₹ 8.84 करोड़ का परिहार्य व्यय उठाया।

वैज्ञानिक व अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड (एस. ई. आर. बी.) का गठन (जनवरी 2009) संसद के अधिनियम द्वारा विज्ञान व अभियांत्रिकी में आधारभूत अनुसंधान को प्रोत्साहन देने तथा ऐसे अनुसंधान में कार्यरत व्यक्तियों/संस्थाओं को वित्तीय सहयोग प्रदान करने हेतु किया गया था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस को सम्बोधित (जनवरी 2010) करते हुए, प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि मार्च 2010 से बोर्ड परिचालित होगा।

बोर्ड को कार्यालय तथा अन्य आवास के लिए नोएडा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी. एस. टी.) को आबंटित भूमि प्रदान की जानी थी। हालांकि, इसमें 5 वर्ष का समय अपेक्षित था, डी. एस. टी. ने मार्किट से तैयार स्थल किराये पर लेकर एस. ई. आर. बी. को वैकल्पिक आवास प्रदान करने का निर्णय (जुलाई 2009) लिया।

निविदाओं के तीन दौरों के पश्चात् एस. ई. आर. बी. ने अपने कार्यालय के लिए वसंत स्क्वायर मॉल के निचले भूतल पर 15,953 वर्ग फीट के एक क्षेत्र को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान (नवम्बर 2010) की। स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार (नवम्बर 2010), पट्टा कर्त्ता को पट्टे के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि पर सभी विद्युत, सीवर तथा अन्य नागरिक सुविधाओं के साथ पूर्णतया तैयार अवस्था में इमारत प्रदान करनी थी। एस. ई. आर. बी. ने सन सिटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (पट्टा कर्ता) के साथ प्रति माह ₹ 41.09 लाख के किराये पर तीन वर्ष की अवधि के लिए (फरवरी 2011) पट्टा समझौता किया, जिसमें रख–रखाव संबंधी प्रभार तथा कर सम्मिलित थे।

एस. ई. आर. बी. ने (फरवरी 2011) डी. एस. टी. की शाखा नेशनल मिशन फार बैम्बू एप्लीकेशन (एन एम बी ए) को कार्यालय के आंतरिक कार्यों का काम ₹ 1.67 करोड़ की लागत पर सौंपा, जो कि एक महीने के अन्दर पूर्ण होना था। एन. एम. बी. ए. द्वारा दिसम्बर 2011 में आंतरिक कार्य पूर्ण कर दिया गया था। परंतु एस. ई. आर. बी. ने दिसम्बर 2012 तक कार्यालय परिसर को, अर्थात किराया भुगतान के प्रारंभ के करीब 22 महीनों के पश्चात् तथा आंतरिक कार्य के पूर्ण होने के 12 महीनों तक गृहित नहीं किया।

फरवरी 2011 से नवम्बर 2012 की अवधि के दौरान, डी एस टी/एस. ई. आर. बी. ने किराये पर लिये गए कार्यालय स्थल के लिए पट्टा कर्ता को किराये के रूप में ₹ 8.84 करोड़ का कुल भुगतान किया। इसके अतिरिक्त पट्टे पर लिये गये परिसर में आंतरिक कार्य के लिए ₹ 1.67 करोड़ का निष्क्रय निवेश भी उठाया गया।

लेखापरीक्षा में पाया कि एस. ई. आर. बी. का अपना कोई स्टॉफ नहीं था और इसका कार्य डी. एस. टी. अधिकारियों वैज्ञानिकों द्वारा दोहरी क्षमता में देखा जाता था। एस. ई. आर. बी. के भर्ती नियम भी अधिसूचित (मई 2013) नहीं थे तथा 24 स्वीकृत पदों में से केवल निदेशक के पद पर नियुक्ति (जून 2012) की गई थी ।

इस प्रकार नियमित स्टॉफ के मौजूद न होने के बावजूद, एस. ई. आर. बी. ने कार्यस्थल को किराये पर लिया तथा किराये के रूप में पर्याप्त व्यय उठाया।

एस. ई. आर. बी. ने कहा (नवम्बर 2012) कि एक कार्यालय को आवश्यक अन्य अधिसंरचनाओं के साथ पूर्ण सुसज्जित करने के लिए अपेक्षित से अधिक समय लगा। एस. ई. आर. बी. ने यह भी कहा कि भर्ती नियमों के अभाव में, एस. ई. आर. बी. योजनाओं और अन्य संबंधित कार्यों को डी एस टी के वैज्ञानिकों द्वारा दोहरी क्षमता में निष्पादित किया गया था।

एस. ई. आर. बी. का उत्तर स्वीकरणीय नहीं है, क्योंकि संस्थान के भर्ती नियमों के अभाव में जब नियमित स्टॉफ को प्राप्त करना सन्निकट नही था तब कार्यस्थल को किराये पर लिये जाने का निर्णय अविवेकपूर्ण था। इसके अतिरिक्त यद्यपि परिसर दिसम्बर 2011 तक तैयार था, एस. ई. आर. बी. ने एक साल बाद, दिसम्बर 2012 तक, उसे गृहित करने में विलम्ब किया।

डी एस टी ने कई कारणों का हवाला देते हुए विलम्ब को उचित ठहराने की कोशिश की तथा (जून 2013) बताया कि एस ई आर बी द्वारा भाड़े पर लिया हुआ आवास दिसम्बर 2012 से ही प्रयोग में लाया जा रहा था।

इस प्रकार, योजना की कमी तथा नियमित कर्मचारियों के अभाव में कार्यालय स्थल को पट्टे पर लेने का विवेकहीन निर्णय तथा उसे गृहण करने में असफलता के परिणामस्वरूप किराये के रूप में ₹ 8.84 करोड़ परिहार्य व्यय तथा आंतरिक कार्य पर ₹ 1.67 करोड़ का निष्क्रय निवेश किया गया।

5.2 परिवहन भत्ते का अग्राहय भुगतान

जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र ने अपने कर्मचारियों को, जो कि संस्थान की परिवहन सुविधाओं का उपयोग कर रहे थे, नियमविरूद्ध ₹ 69.93 लाख के परिवहन भत्ते का भुगतान किया

जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र (जे एन सी ए एस आर) वैज्ञानिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के अधिदेश के साथ बैंगलुरू 1989 में एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (एम. ओ. एफ.) के दिनांक 29 अगस्त 2008 के आदेशानुसार उन कर्मचारियों को जिन्हें सरकारी परिवहन प्रदान किए गए है, परिवहन भत्ता देय नहीं होगा। इसके अलावा मूलभूत नियम 44 के अनुसार, प्रतिपूरक भत्ते की राशि, इस प्रकार तय किया जाना चाहिए कि वह भत्ता प्राप्तकर्ता के लिए लाभ का एक स्रोत न बन जाए।

जे. एन. सी. ए. एस. आर. के लेखों की सितम्बर 2008 से फरवरी 2013 की अवधि की लेखापरीक्षा समीक्षा में यह उजागर हुआ कि 62 कर्मचारियों को ₹ 75 से ₹ 350 प्रति माह की मामूली राशि के भुगतान पर छात्रों तथा अनुसंधान स्टॉफ को प्रदत्त होने वाली परिवहन सेवा सुविधा के उपयोग के अतिरिक्त परिवहन भत्ता भी प्राप्त हो रहा था। संस्थान ने सितम्बर 2008 से फरवरी 2013 के दौरान इन कर्मचारियों को ₹ 69.93 लाख के परिवहन भत्ते का भुगतान किया।

जे. एन. सी. ए. एस. आर. ने कहा (अगस्त 2012) कि परिवहन सेवाओं का संबंध उन अनुसंधान स्टॉफ से है जो कि परिवहन भत्ता प्राप्ति के अन्तर्गत नहीं थे तथा वह स्टॉफ जिसे परिवहन भत्ता प्राप्त था, परिवहन सेवाओं के प्रयोग के लिए भुगतान किया करते थे और इससे बेकार क्षमता का उपयोग करने में भी सहायता मिलती थी।

लेखापरीक्षा के अनुसार परिवहन भत्ता प्रदान करने के साथ–साथ जे. एन. सी. ए. एस. आर. की परिवहन सुविधाओं का मामूली दरों पर प्रयोग सरकारी निर्देशों का उल्लंघन था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से पूर्व, जे. एन. सी. ए. एस. आर. ने बिना परिवहन भत्ते का भुगतान किए अनुसंधान स्टॉफ से संबंधित परिवहन सुविधाएं अपने कर्मचारियों को प्रदान की थीं। इस प्रकार जे. एन. सी. ए. एस. आर का तर्क स्वीकार्य नहीं है।

मामला डी. एस. टी. को अक्तूबर 2012 में अग्रेषित किया गया था, परंतु जून 2013 तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।